



## Cattle feed Plant, Kaladera Plot no. SP34 & 34A, RIICO Area, Kaladera A unit of

#### JAIPUR ZILA DUDGH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.

Near Gandhi Nagar Railway Station, JAIPUR- 302015

PABX:- 0141-2713666-69 Ext. 450 FAX: - 0141-2713666-69

Website: www.jaipurdairy.com Email:-<u>cfp.kaladera@gmail.com</u>

#### **E-TENDER DOCUMENT**

For

# ENGAGING TRANSPORTER FOR TRANSPORTATION OF CATTLE FEED & MINERAL MIXTURE FROM CFP KALADERA TO DCS IN JAIPUR MILKSHED

At

# Cattle Feed Plant, Kaladera

SP 34 & 34A, RICCO Industrial Area – Kaladera, – 303801 Dist. – Jaipur (Raj.) JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED NEAR GANDHI NAGAR RAILWAY STATION, JAIPUR-302015

# ENGAGING TRANSPORTER FOR TRANSPORTATION OF CATTLE FEED & MINERAL MIXTURE FROM CFP KALADERA TO DCS IN JAIPUR MILKSHED

#### **Table of Contents**

Disclaimer : Page No. 3

Critical Dates: Page No. 4

Notice Inviting Bid/Tender: Page No. 5-6

Section I: Instructions to Bidders and Bid Data (ITB): Page No. 7-10

Section II: Evaluation and Qualification Criteria: Page No. 11

Section III: Terms of Reference (TOR): Page No. 12-20

Section IV: Bidding Forms: Page No. 21-28

**Technical Proposal (Bid)** 

(i) Financial Proposal (Bid): Page No. 29

(ii) Section V : Contract Forms and Performance Security : Page No. 30-32

#### **Disclaimer**

- A. The information contained in this e-tender/Bid document provided to the Bidder(s), by or on behalf of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited or any of its employees or advisors, is provided to the Bidder(s) on the terms and conditions set out in this e-tender/Bid document and all other terms and conditions subject to which such information is provided.
- B. The purpose of this e-tender/Bid document is to provide the Bidder(s) with information to assist the formulation of their Proposals. This e-tender/Bid document does not purport to contain all the information which each Bidder may require. This e-tender/Bid document may not be appropriate for all persons, and it is not possible for Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, its employees or advisors to consider the business/ investment objectives, financial situation and particular needs of each Bidder who reads or uses this e-tender/Bid document. Each Bidder should conduct its own investigations and analysis and should check the accuracy, reliability and completeness of the information in this e-tender/Bid document and where necessary obtain independent advice from appropriate sources.
- C. Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, its employees and advisors make no representation or warranty and shall incur no liability under any law, statute, rules or regulations as to the accuracy, reliability or completeness of the e-tender/Bid document.
- D. Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited may, in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information in this e-tender/Bid document.

### Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines) , Sales :91-0141-2713670 Fax No. : 0141-2711075, MANAGER (PLANT): 0141-2711583

E-Mail:cfp.kaladera@gmail.com

Website:http://www.jaipurdairy.com

# Tender Title: ENGAGING TRANSPORTER FOR TRANSPORTATION OF CATTLE FEED & MINERAL MIXTURE FROM CFP KALADERA TO DCS IN JAIPUR MILKSHED

#### **Critical Dates**

S.No	Particulars	Date
1.	Date & time of uploading tender document by Jaipur Dairy.	04.06.2025 From 12:00 PM
2.	Date from which Bidding Document will be provided from the website of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited i.e.www.jaipurdairy.com or can be downloaded from e-procurement or State Public Procurement Portal	04.06.2025 From 04:00 PM
3.	Pre-Bid meeting at JZDUSS LTD. HQ, Jaipur	10.06.2025 at 12:00 PM
4.	Last time and date upto which Bids can be submitted/ uploaded on e-procurement website	23.06.2025 till 01:00 PM
5.	Last date & time for submission of fees following in original and physical form:	
	Bid-security/EMD: Rs. 2,50,000/- Per Zone by DD / banker cheque / pay order (CTS only)/ BG in name of Cattle Feed Plant, Kaladera.	23.06.2025
	Tender document fee: Rs. 1000 by DD / banker cheque / pay order (CTS only) in name of Cattle Feed Plant, Kaladera	till 02:00 PM
	RISL Processing fee: Rs. 2000 by DD / banker cheque / pay order (CTS only) in name of MD, RISL., Jaipur	
6.	Time and date of opening of Technical Bid	24.06.2025 at 01:00 PM
7.	Time and date of opening of Financial Bid	To be informed later

#### Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur PABX No.: 91-0141-2713666-69 (4 Lines), Sales: 91-0141-2713670 Fax No.: 0141-2711075, MANAGER (PLANT): 0141-2711583

E-Mail:cfp.kaladera@gmail.com Website: http://www.jaipurdairy.com

#### TENDER - FORM

Subject: E-tenders are invited from experienced and financially sound tenderers for providing service for TRANSPORTATION OF CATTLE FEED/MINERAL MIXTURE FROM CATTLE FEED PLANT, KALADERA TO DCS IN JAIPUR MILKSHED

Pre-Bid meeting : 12.00 Noon 10.06.2025

> At Meeting room of Jaipur Dairy Plant, Near Gandhi Nagar Railway station, Jaipur

1) Last Date & Time For Submission : 23.06.2025 till 01:00 PM

/uploading

2) Tender form fee, tender processing fee:

& EMD is to be deposited as per schedule : 23.06.2025 till 02:00 PM

3) Estimated value of Contract: : Rs. 4 crore

4) Date & time for opening of the Tender

: 24.06.2025 at 01:00 PM (Technical bid only) Tender form must be accompanied with

4) Earnest Money Deposit:

Earnest Money of Rs. 2,50,000/- Per Zone

The EMD should be in the form of DD/BG in favour of "Cattle Feed Plant, Kaladera" payable at Jaipur without

which the tender form will not be considered.

Rs.1,000/- (Rs. One Thousand only) by Demand draft 5) Tender Fee (non-refundable)

only in favour of "Cattle Feed Plant, Kaladera" payable

at Jaipur.

Rs. 2000/- (Rs. Two Thousand Only) 6) Tender Processing Fee(non-refundable):

By Demand draft only in favour of MD, RISL, payable

Note: The above referred fees & EMD to be deposited at following address:

Jaipur Zila Dugdh Utapadak Sahakari Sangh Ltd., Near Gandhi Nagar Railway Station: 302015

The complete Bidding Document including the Conditions of Contract, Evaluation and Qualification Criteria, Terms of Reference, Bidding Forms, Procedure of Bidding etc. can be seen at www.jaipurdairy.com. Alternatively, these may be seen and downloaded from the website of State Public Procurement http://sppp.rajajasthan.gov.in and website of e-procurement http://eproc.rajasthan.gov.in and the price of Bidding Document, Bid Security/ Bid Securing Declaration, as applicable and Processing Fee, the scan copy of these documents must be uploaded on e-procurement.

The original Demand draft/ Banker's cheque/ Bank Guarantee in the specified format, from a Scheduled Bank in India, shall be submitted personally or dropped in the Bid Box or by post in sealed envelopes deposited in the office of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Near Gandhi Nagar Railway station at Jaipur-302015 after last time and date of Bid submission and before Time and date of opening of technical Bid, failing in which the bid shall be rejected.

- 8) Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur is not bound to accept the successful Bid and may reject any or all Bids without assigning any reason thereof.
- 9) The Bidders shall have to submit proofs of their GST registration and the Permanent Account Number (PAN) of Income Tax.
- 10) For any query regarding the BID, the bidder can contact to competent authority of Sangh.
- 11- NOTE- Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" [hereinafter called the Act] and the "Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" [hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.gov.in Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

## जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर — 302015

कमांक (एफ2/जिजदुउसरांनि/प.आ.सं.,कालाडेरा/2025/72 42-44

दिनांक 02/06/2025

## ई-निविदा सूचना

पशु आहार संयन्त्र, कालांडेरा पर निर्मित पशु आहार/मिनरल मिक्सचर को जयपुर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र की दुग्ध समितियों पर परिवहन कार्य हेतु ई—निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी विस्तृत सूचना एवं महत्वपूर्ण तिथियां sppp.rajasthan.gov.in व www.jaipurdairy.com पर देखी जा सकेगी। उपरोक्त कार्यो हेतु वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा प्रपत्र भरा जा सकेंगा।

नि प्रबन्ध संचालक

#### प्रतिलिपिः :--

- उपप्रबन्धक (प्रचार-प्रसार) दुग्ध संघ, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि निविदा सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
- सहायक प्रबन्धक (एएन), पशु आहार संयन्त्र, कालांडेरा को भेजकर लेख हैं कि उक्त निविदा सूचना को सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
- 3. सूचना पट्ट, दुग्ध संध, जयपुर
- 4. कार्यालय प्रति/मास्टर फाईल

प्रबन्धं संचालक

## अनुभाग -I

#### Instructions to Bidders

#### **INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOC**UMENTS

- 1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a>
- 2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <a href="http:eproc.rajasthan.gov.in">http:eproc.rajasthan.gov.in</a>, To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (typelII) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e.TCS, safecrypt, Ncode etc. Or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.

Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

- 3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Tender fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
- 4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
- 5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
- 6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1<sup>st</sup> Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur. Help Desk MOBILE:+91-7878007972, +91-7878007973, or 180030702232 "Toll free, 24X7" E-mail- eproc@rajasthan.gov.in
- 7. Tender Form & hand written rates would not be accepted in Tender Box.
- 8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
- 9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads" section for further details about the e-tendering process.

#### **Grievance Redressal during procurement process**

#### **Grievance Redressal**

Any grievance of a Bidder pertaining to the procurement process shall be by way of filing an appeal to the Appellate Authority, as specified below:

Appellate Authority:- Chairman, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited

Appendix A: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

#### Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved about any decision, action or omission of the Procuring Entity, he may file an appeal to Appellate Authority, as may be designated for the purpose, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bid before the opening of the financial Bid, an appeal related to the matter of Financial Bid may be filed only by a Bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

#### (1) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter in to negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

#### (2) Form of Appeal

- (a) An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, in person or through registered post or authorized representative.

#### (3) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank payable in the name of Appellate Authority concerned.

#### (4) Procedure for disposal of appeals

- (a) The Appellate Authority, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
- (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Appeal No .....of .....

#### FORM NO.1

#### [See rule83]

#### Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Before the
<ul><li>2. Name and address of the respondent(s):</li><li>1.</li><li>2.</li><li>3.</li></ul>
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of their representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6.Grounds of appeal:
(Supported by an affidavit)
7. Prayer:
Date

Applicant's signature

#### अनुभाग **।।** निविदादाताओं की अर्हता, पात्रता एवं मूल्यांकन की शर्ते

1. बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निन्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :--

क.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
2	आय कर (पैन नंबर)				
3	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 / बीआर नम्बर या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

- 2. निविदादाता प्रतिष्ठित उत्पादक / डिस्ट्रीब्यूटर / डीलर / सेवादाता होना चाहिये।
- 3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र फीस, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस, ई.एम.डी. राशि जमा करवाना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 4. निविदादाता द्वारा जयपुर सघ अथवा संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्व (संघ से सम्बन्धित) किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद लम्बित होने पर निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- 5. निविदादाता जिन्हे पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य किया गया है/निलम्बित/अनुबंध निरस्त किया गया हैं/ब्लेक लिस्टेड किया गया हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- 6. निविदादाता जिनका संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी वित्तीय सम्बन्ध है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- निविदादाता जिनका संघ के संचालक मण्डल के सदस्य / दुग्ध सिमितियों के पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- 8. निविदादाता जो दीवालिया / नाबालिक / अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- 9. निविदादाता जो संघ के समान / प्रतिस्पर्धी कार्य / व्यापार में लिप्त हैं वें इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- 10. निविदादाता वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय / संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- 11. जयपुर दुग्ध संघ में सुरक्षा कार्य के अनुबन्धित ठेकेदार, जयपुर दुग्ध संघ के सभी अनुबन्धित ठेकेदार पशु आहार संयन्त्र, कालांडेरा की निविदाओं में भाग नहीं ले सकते।
- 12. वे निविदादाता जिनको निविदा में भाग लेने से सीमित किया जाता है उसके लिये निविदा की विशेष शर्तो में मय सीमित करने का आधार का उल्लेख किया जावेगा।
- 13. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पायें जाने पर धरोहर / सुरक्षा राशि / बैंक गांरटी / अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा, जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
- 14. निविदादाता को निविदा से सम्बन्धित सभी शर्ते माननी होगी। निविदादाता द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत किये जाने पर वह निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- 15. निविदादाता को जी.एस.टी. में पंजीकृत व पेन नम्बर का प्रमाण पत्र प्रस्तूत करना होगा।
- 16. निविदादाता को प्रपत्र में वांछित सभी फार्म भरकर हस्ताक्षर मय सील अंकित कर प्रस्तुत करना होगा।
- 17. निविदादाता को निविदा प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित करनी होगी।
- 18. एम.एस.एम.ई. निविदादाता को किसी भी प्रकार की टेण्डर फार्म राशि ई.एम.डी. / सिक्योरिटी राशि में छूट नहीं दी जावेगी।
- 19. परिवार के सदस्य जिनके निविदादाता से रक्त सम्बन्ध हैं और जो निविदादाता पर आश्रित हैं वे निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- 20. पूर्व में इस प्रकार के कार्य हेतु दो वर्ष का अनुभव किसी भी सहकारी संस्था/अर्द्ध सरकारी संस्था/सरकारी संस्था का अनुभव होना अनिवार्य है। इसके लिये समुचित दस्तावेज जैसेः कार्य आदेश, अनुबन्ध या किसी इसी प्रकार के संस्थान में किया गया कार्य का प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना हैं। जिस भी फर्म द्वारा कार्य प्रदान किया हुआ हैं, उस फर्म से बैंक स्टेटमेन्ट/ट्रांसजेक्शन का प्रमाण निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 21. विगत तीन वर्ष में से किन्ही दो वर्ष में का टर्न ऑवर रूपयें न्यूनतम एक करोड प्रत्येक वर्ष होना अनिवार्य हैं। जिसकी ऑडिटेड बैलेन्स शीट रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी/अपलोड करनी होगी।

#### अनुभाग III (A)

#### **Terms of Reference**

#### परिवहन निविदा की मुख्य शर्ते

- 1. निविदा प्रपत्र की सभी वांछित प्रमाण पत्र, दर एवं अन्य सभी आवश्यक सूचनायें ऑनलाईन (<a href="https://eproc.rajasthan.gov.in">https://eproc.rajasthan.gov.in</a>) अपलोड करें।
- 2. निविदादाता को निविदानुसार निविदा सुरक्षा राशि रू० 2,50,000/— (अक्षरे दो लाख पच्चास हजार रूपयें) प्रति जोन जिरये डिमांड ड्राफ्ट (CTS Only)/बैंकर्स चैक (CTS Only)/बैंक गारन्टी, जो कि केटल फीड प्लान्ट, कालांडेरा के नाम देय हो। जयपुर डेयरी, के पशु आहार संयन्त्र कार्यालय में जमा कराना होगा।
- 3. सफल निविदादाताओं को आशय का पत्र जारी होने की दिनांक से पन्द्रह दिवस में कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि (बैंक गारन्टी / डीडी के रूप में) पशु आहार संयन्त्र, कालांडेरा के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करनी होगी। उपयुक्त राशि का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करना तथा निविदा से संबंधित अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। उक्त के अभाव में सम्बन्धित निविदादाता की निविदा निरस्त कर, जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 4. निविदा की अविध दो वर्ष की होगी जिसे आरटीपीपी एक्ट के अनुसार बढाया जा सकेगा। यदि स्वीकृत निविदादाता का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है या निविदादाता स्वयं कार्य छोडकर चला जाता है या निविदा शर्तों की पालना न करने के कारण ठेका निरस्त किया जाता है तो उसकी कुल जमा सुरक्षा राशि, कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि एवं बकाया भुगतान जब्त कर ली जावेगी।
- 5. पशु आहार का परिवहन, पशु आहार संयत्र कालांडेरा से गन्तव्य स्थान तक, संबंधित जोन की समस्त दुग्ध समितियों / संकलन केन्द्रों पर किया जा सकेगा। परिवहन अनुबन्ध अवधि के दौरान गठित होने वाली प्रस्तावित समितियों पर भी पशु आहार परिवहन किया जा सकेगा। सफल निविदादाता को संबंधित जोन की समस्त समितियों / संकलन केन्द्रों पर पशु आहार सप्लाई की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- 6. परिवहन दरें जोन आधारित मांगी गई हैं, एल-वन निविदादाता का निर्धारण निम्न जोनवार प्राप्त दर को जोडते हुये न्यूनतम दर से ही किया जायेंगा, जोन का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क.सं.	जोन का नाम	
1	बिन्दायका	
2	बरसी	
3	चाकसू	
4	दौसा	
5	दूदू	
6	कालाडेरा	
7	मानपुरा माचैडी	
8	शाहपुरा	

- 7. स्वीकृत परिवहनकर्ता को जिन समिति पर पशु आहार परिवहन करना है, उसकी सूची सूचना पट्ट पर सुबह लगभग 10.00 बजे एवं आवश्यकता होने पर दोपहर लगभग 3.00 बजे तक चस्पा कर दी जावेगी, जिसे सम्बन्धित निविदादाता को सूचित होना माना जावेगा। पशु आहार परिवहन हेतु मांगे गये वाहन अधिकतम 24 घन्टे में उपलब्ध कराये जाने होगें।
- 8. परिवहनकर्ता द्वारा पशु आहार संयन्त्र परिसर में हर समय लोडिंग हेतु वाहन उपलब्ध होना आवश्यक हैं।
- 9. स्वीकृत परिवहनकर्त्ता द्वारा किसी भी दुग्ध समिति हेतु मांग के अनुरूप 24 घण्टे में वाहन उपलब्ध न कराने पर सम्बन्धित परिवहनकर्ता पर निम्नप्रकार पेनल्टी वसूल की जावेगी।
- 1. निर्धारित 24 घन्टे उपरान्त परन्तु 48 घण्टे पूर्व पेनल्टी राशि = 3,000 / रू० प्रति मार्ग प्रति वाहन
- 2. 48 घन्टे उपरान्त परन्तु 72 घण्टे पूर्व पेनल्टी राशि पेनल्टी राशि = 6,000/— रू० प्रति मार्ग प्रति वाहन

यदि सम्बन्धित परिवहनकर्त्ता द्वारा 72 घन्टे उपरान्त भी वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित परिवहनकर्ता पर पेनल्टी राशि वसूल करते हुये, उक्त मार्ग के लिये परिवहनकर्ता के हर्जे खर्चे पर अन्य परिवहनकर्ता से करा दिया जावेगा।

- 10. परिवहनकर्ता को पशु आहार का परिवहन कर सभी दुग्ध समितियों / संकलन केन्द्रो से प्राप्ति की रसीद सात दिवस में पशु आहार संयन्त्र, को उपलब्ध करानी होगी, समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर इस माल की कीमत बिल से काट ली जावेगी।
- 11. स्वीकृत निविदादाता द्वारा परिवहन कार्य आदेश जारी होने के 3 दिवस में, परिवहन कार्य प्रारम्भ करना होगा, ऐसा ना करने पर सम्बन्धित निविदादाता पर शर्ते संख्या (3) अनुसार कार्यवाही कर कुल अधिकतम कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 12. यदि प्रबन्धन, पशु आहार संयन्त्र कालांडेरा चाहे और जरूरी समझे तो उसे यह अधिकार होगा कि वह अपना प्रतिनिधि वाहन के साथ भेज सकेगा।
- 13. परिवहन कर रहे वाहन से संबंधित समस्त औपचारिकताऐं जैसे वाहन का रिजस्ट्रेशन, फिटनेस, इंश्योरेन्स, टैक्स, पॉल्यूशन अण्डर कन्ट्रोल (पीयूसी) आदि जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं निविदादाता किसी भी प्रकार के विवाद या किसी भी अधिकृत व्यक्ति / संस्था द्वारा किये गये चालान के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
- 14. अन्य पशु आहार संयंन्त्र पर कच्चे माल का परिवहन कार्य स्वीकृत दर पर किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना प्रबन्धक पशु आहार संयन्त्र को देनी होगी।
- 15. पशु आहार परिवहन करने वाले ट्रक यदि समय से भर जाता है तो उसे तुरन्त उसी दिन गन्तव्य स्थान पर रवाना करना होना होगा ताकि समयानुसार मांग की आपूर्ति हो सकें। ऐसा नहीं किये जाने पर सम्बन्धित परिवहनकर्त्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
- 16. परिवहन की दर जोनवार प्रति क्विंटल के आधार पर देनी होगी, जिसमें माल की गंतव्य स्थल पर अनलोडिंग भी सम्मिलित होगी। उक्त दर समस्त टैक्स यथा जीएसटी इत्यादि सहित होगी। भुगतान करते वक्त नियमानुसार बिल में से आयकर, जीएसटी, जो भी लागू हो इत्यादि की कटौती की जावेगी।
- 17. निविदादाता को किसी भी प्रकार का टोल टैक्स, बिल्टी चार्ज, ओक्ट्रोई चार्ज एवं जीएसटी इत्यादि देय नहीं होगा यह सभी निविदादाता की दर में सम्मलित होगा।
- 18. रास्ते के खर्चे के लिये परिवहनकर्त्ता को कोई भी राशि अग्रिम नहीं दी जावेगी। वाहन चालक, खल्लासी, द्रक के साथ रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संयत्र परिधि में किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन करना या सेवन कर संयत्र में आना निषेध हैं। मादक पदार्थ का उपयोग करने की स्थिति में मादव एवं द्रव्य पदार्थ अधिनियम के अनुसार शास्ति आरोपित की जायेगी। अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों के चाल—चलन एवं व्यवहार की पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा वाहन चालक खाकी वर्दी में होना अनिवार्य होगा। इन व्यक्तियों को संयत्र अधिकारी एवं सम्बधिंत कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना होगा एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही या निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से परिवहनकर्ता की होगी।
- 19. राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित कानून के अनुसार कोई कर यदि हो तो / लागू हो तो आदि की कटौती परिवहनकर्ता के बिल में से कर ली जावेगी।
- 20. निविदा सुरक्षा / कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 21. परिवहन पशु आहार की मांग के अनुसार ही करवाया जावेगा। यदि किसी या सभी दुग्ध सिमितियों / संकलन केन्द्रों से मांग नहीं होती या कम होती है तो उसके लिये पशु आहार संयन्त्र जिम्मेदार नहीं होगा।
- 22. सफल निविदादाता के ट्रकों का संचालन केन्द्रीय / राज्य परिवहन अधिनियम के अनुसार किया जावेगा। परिवहन अधिनियम के उल्लंघन की समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
- 23. वाहन को पशु आहार भरने के लिए लगाते समय वाहन पूर्णतः खाली एवं साफ सुथरा होना चाहिये। कोई भी नुकीली चीज वाहन में नहीं होनी चाहिये जिससे पशु आहार बैग फटने की सम्भावना हो।
- 24. परिवहनकर्ता को संयन्त्र से जो माल नग व वजन प्राप्त करेगा, उसी अनुसार गन्तव्य स्थान पर डिलिवरी देनी होगी। नग या वजन में अन्तर आने पर माल की तत्कालिक प्रचलित विक्रय कीमत एवं शास्ती परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी। इसलिये अति आवश्यक है, कि स्वीकृत निविदादाता या ट्रक ड्राइवर या उसका प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति में माल लोड करायें व वजन कराये। निकास पत्र में हस्ताक्षर के पश्चात् सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

- 25. परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि वह माल को पूर्ण सुरक्षित रूप से गन्तव्य स्थान पर पहुंचायें। पशु आहार गन्तव्य स्थान तक ना पहुंचने, भीगने या अन्य किसी कारण से माल खराब हो जाता है तो हानि की वसूली परिवहनकर्ता से वसूली योग्य होगी। परिवहनकर्ता पशु आहार को त्रिपाल से ढकने के उपरान्त ही संयन्त्र से गाड़ी की निकासी करे।
- 26. किसी भी वाहन की न्यूनतम भार वहन क्षमता 1 टन होगी। इससे कम वजन क्षमता का वाहन पशु आहार के परिवहन के लिए मान्य नहीं होगा। दुग्ध समितियों पर पशु आहार परिवहन हेतु टेक्टर—ट्राली, वाहन के रूप में मान्य नहीं होगी और ना ही पशु आहार परिवहन हेतु दिया जावेगा।
- 27. वाहन को किसी भी प्रकार का डेमरेज संयन्त्र व गन्तव्य स्थान से देय नहीं होगा।
- 28. संयन्त्र एवं परिवहनकर्ता के मध्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष जजिदुउससं का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र जयपुर होगा।
- 29. निविदा खुलने की तिथि को डीजल की दरों को आधार मानते हुए डीजल दरों में 10 प्रतिशत घटोतरी/बढोतरी के उपरान्त ही परिवहन दरों में परिवर्तन किया जावेंगा। इसकी गणना के लिए स्वीकृत परिवहन दर प्रति क्विंटल में से 50 प्रतिशत लागत डीजल की मानते हुए उस पर बढी हुई डीजल की दर के प्रतिशत के आधार पर गणना की जावेगी। उदाहरण के लिए :—

क. सं.	डीजल की दरे रूपयें प्रति लीटर	प्रतिशत बढोतरी	परिवर्तित डीजल की दरे रूपयें प्रति लीटर	परिवहन की दरे रूपयें प्रति क्विंटल	परिवर्तित परिवहन दरे रूपयें प्रति क्विंटल
1	40 रूपयें	_	40 रूपयें	50 रूपयें	50 रूपयें
2	40 रूपयें	10 प्रतिशत	४४ रूपयें	50 रूपयें	52.50 रूपयें
3	४४ रूपयें	6.82 प्रतिशत कोई परिवर्तन नही	47 रूपयें	52.50 रूपयें	52.50 रूपयें
4	४४ रूपयें	अतिरिक्त 10 प्रतिशत, पूर्व के 10	48 रूपयें	52.50 रूपयें	55.12 रूपयें
		प्रतिशत बढोतरी के बाद			

- 30. यद्यपि निविदा की समयाविध दो वर्ष के लिए है। लेकिन यदि परिवहन दरें किसी सरकारी आदेश या अन्य किसी कारण से अचानक कम हो जाती हैं उस परिस्थिति में प्रबन्धक पशु आहार संयन्त्र कालाडेरा को शेष समय का टेण्डर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उस स्थिति में स्वीकृत परिवहनकर्ता की निविदा सुरक्षा राशि, कार्य निष्पादन सुरक्षा नियमानुसार लौटा दी जावेगी एवं स्वीकृत परिवहनकर्ता शेष अविध का कोई भी क्लेम नहीं कर सकेगा।
- 31. सामान्यतः पक्के माल की लोडिंग, वाहनों के विरयता क्रम से कराई जावेगी लेकिन विशेष पिरिस्थितियों अर्थात यदि लोडिंग लेबर तथा पक्का माल (सादा, गोल्ड अथवा बाईपास) उपलब्ध है तो उपलब्ध पक्के माल की, लोडिंग उपलब्ध वाहन को प्राथिमकता प्रदान की जावेगी ताकि लोडिंग कार्य समय से पूरा किया जा सके। उक्त पिरिस्थिति में स्वीकृत पिरवहनकर्ता/पिरवहनकत्ताओं को किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं होगी। इस संबंध में प्रबन्धन, पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा का निर्णय अन्तिम होगा।
- 32. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमा निविदा सुरक्षा राशि, कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि तथा अन्य भुगतान योग्य राशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा तथा पशु आहार संयत्र को हुई हानि की वसूली अनुबन्ध अवधि या बढायी गई अनुबन्ध अवधि से की जावेगी।
- 33. परिवहनकर्ता को उचित मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल पेपर पर इकरारनामा भरकर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर सात दिवस में प्रस्तुत करना होगा। यदि अनुबन्ध अवधि बढाई जाती है तो स्वीकृत परिवहनकर्ता द्वारा बढाये गये समय के इसी अनुबन्ध का हिस्सा माना जावेगा।
- 34. सफल परिवहनकर्ता को टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात प्रबन्धन, पशु आहार संयन्त्र को लोडिंग/भाडे इत्यादि सम्बन्धित कार्य के लिए अधिकृत प्रतिनिधि (सुपरवाईजर) का नाम लिखित में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा संयन्त्र में इस कार्य के लिए किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- 35. निविदा स्वीकृत करना या निर्धारित शर्तो में छूट देना प्रबन्धन, पशु आहार संयन्त्र के आबाधित स्वविवेक (एब्सोल्यूट डिस्क्रीशन) पर निर्भर होगा, तथा न्यूनतम दर की निविदा को स्वीकार न करने अथवा किसी भी निविदा को पूर्ण व आंशिक रूप से स्वीकार करने / रद्द करने तथा उसके सम्बन्ध में कोई कारण देने

- का अधिकार प्रबन्धन, पश् आहार संयन्त्र को होगा।
- 36. किसी प्रकार की शर्त जोडने एवं हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।
- 37. निविदायें खोलने के उपरान्त निविदादाता से दरों के सम्बन्ध में तथा अन्य किसी प्रकार का कोई भी रिप्रेजेन्टेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 38. सफल निविदादाता को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा। इस हेतु रूपये 110/— नकद संघ में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावेगी एवं इसकी प्रतिलिपि टेण्डर कमेटी को देनी होगी।
- 39. सफल निविदादाताओं को संबंधित जोन की एक से अधिक (अधिकतम चार) बिन्दुओं पर पशु आहार अनलोड करवाया जा सकता हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं हैं।
- 40. परिवहनकर्ता / फर्म के नाम से चार वाहनों की आरसी होना अनिवार्य हैं, वाहन की आरसी की फोटो प्रति निविदा फार्म के साथ आवश्यक रूप से अपलोड की जावें व मूल आरसी जब भी मांगी जावें सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा निविदा अथवा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेंगा।
- 41. परिवहनकर्ता या उसके प्रतिनिधि या ड्राईवर या अन्य के द्वारा :--
  - (अ) पशु आहार संयन्त्र, की किसी भी सम्पति को प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुचाने पर उसकी किमत की वसूली या सम्पति के मूल्य के बराबर शास्ति आरोपित की जावेंगी।
  - (ब) जयपुर दुग्ध संघ/पशु आहार संयन्त्र में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/कर्मकार से अभद्र व्यवहार नहीं किया जावें, ऐसा होने पर उक्त परिवहनकर्ता को तुरन्त संयन्त्र से बाहर कर, दुबारा संयन्त्र में प्रविष्टि नहीं दी जावेंगी। तीसरी बार ऐसा होने पर अनुबन्ध समाप्त किया जावेगा व सभी जमा, सुरक्षा राशि, कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेंगी।
  - (स) पशु आहार संयन्त्र की सम्पित / पशु आहार / मिनरल मिक्चर की चोरी करते हुये पाये जाने पर, चोरी किये गये माल / सम्पित की राशि के मूल्य के 25 गुणा तक की शास्ति परिवहनकर्ता से वसूली जावेंगी।

## अनुभाग III (B)

#### निविदा की सामान्य शर्ते

- 1. निविदा प्रपत्र दो भागों में है (तकनीकी भाग भाग अ एवं वित्तीय भाग भागब) । निविदादाता द्वारा दोनो भाग अलग अलग अलग भरे जाने हैं एवं दोनो ही भाग अलग अलग लिफाफों में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे पर फर्म का नाम इत्यादि विवरण अंकित करना आवश्यक है। ई—टेंडर होने की स्थिति में भाग ''अ'' तथा भाग ''ब'' अलग—अलग अपलोड किये जाने हैं ।
- 2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा के भाग ''अ'' के साथ विशेष शर्तो के अनुसार धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी), टेंडर फार्म फीस के ड्राफ्ट केटल फीड प्लान्ट, कालांडरा के नाम संलग्न करनी होगी एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट MD RISL के नाम जमा करवाना होगा। जिसके अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा राशि के पेटे समामेलित कर दी जावेगी। ई—टेंडर होने की स्थिति में धरोहर राशि, टेंडर फार्म फीस एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस के ड्राफ्ट की स्केन की हुई कॉपी भाग ''अ'' के साथ अपलोड की जानी है तथा मूल ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिये गये निर्देशों के अनुसार जमा करानी आवश्यक है।
- 3. असफल निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही उनकी धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
- 4. धरोहर राशि निम्न कारणों से जब्त की जायेगी :--
  - 1. यदि निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात अपनी निविदा वापस लेता है या परिवर्तन करता है ।
  - 2. यदि निविदादाता दर स्वीकृति पत्र में दिये गये समय के अंदर सुरक्षा राशि एवं अनुबन्ध नहीं करता है।

नोट : यदि उक्त कारण से निविदादाता की धरोहर राशि जब्त की जाती है तो वह पार्टी भविष्य में संघ में किसी भी निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगी। ऐसे निविदादाता जिनकी धरोहर राशि पूर्व मे जब्त की जा चुकी है वे इस निविदा मे भाग लेने के लिये अयोग्य होंगे।

- 5. भाग "अ" के साथ सभी प्रकार के दस्तावेज इत्यादि संलग्न / अपलोड किये जाने आवश्यक है। कोई भी आवश्यक दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। भाग "ब" के लिफाफे में सिर्फ वित्तीय भाग ही होना चाहिए।
- 6. सफल निविदादाता को (विशेष शर्तों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो) बैंक गारन्टी दिया जाना अनिवार्य हैं। जो कि अनुबन्ध समाप्ति की अवधि के छः माह पश्चात तक वैध होना अनिवार्य हैं ।
- 7. अनुबंध की अविध को संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में तीन माह हेतु उन्हीं शर्ती पर बढाया जा सकेगा।
- 8. अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व विशेष शर्तों के अनुसार सिक्यूरिटी के रूप में अनुबन्ध राशि की 5 प्रतिशत, राशि जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुरक्षित राशि अनुबन्धित कार्याविधि सफलतापूर्वक समाप्ति के 6 माह पश्चात निम्न शर्तें पूरी हो जाने के उपरान्त चैक से लौटाई जा सकेगी
  - (अ) निविदादाता को अनुबन्ध समाप्ति उपरान्त एक इण्डेमनिटी बाण्ड सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने पर।
  - (ब) सभी सम्बन्धित अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।
  - (स) श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा नियममें जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर (यदि आवश्यक हो तो) ।
  - (द) कॉन्ट्रेक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट के अधीन श्रमिकों के उपस्थिति, वेतन भुगतान भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं मे रिकार्ड संधारण किये जावेगें तथा आवश्यकता पर प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।(यदि आवश्यक हो तो)।

- (य) सभी वैधानिक आवश्यकताये मय आयकर / टैक्स (यदि हो तो) व अन्य टैक्स नियमानुसार जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अनुबंधकर्ता द्वारा टेक्स जमा कराने सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो) प्रस्तुत करनी होगी।
- 9. निविदा प्रपत्र के विशेष शर्तोमें कार्य सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्तों का विवरण दिया गया है। निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित करके चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वंय सत्यापित फोटो प्रित तथा अमानत राशि का ड्राफ्ट संलग्न करते हुये पृथक रूप से एक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम व "भाग अ" अंकित करना होगा। ई—टेंडर होने की स्थिति में भाग अ तथा भाग ब अलग अलग अपलोड किये जाने हैं।
- 10- निविदा प्रपत्र का **भाग "ब"** में निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दर भरी जानी है तथा इस दर के प्रपत्र को एक पृथक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर कार्य का नाम व **भाग "ब"** अंकित हो प्रस्तुत की जानी है। ई—टेंडर होने की स्थिति में भाग **"**ब"निर्धारित प्रपत्र में अलग अपलोड किया जाना हैं।
- 11- उपरोक्त दोनों मोहरबन्द लिफाफे को एक अन्य लिफाफे में मोहरबन्द करके उस पर कार्य विवरण व निविदा खुलने की तारीख अंकित करते हुये निर्धारित अविध से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह सिर्फ उन निविदाओं के लिए लागू होगा जिसमें ई—निविदा नहीं भरी जानी है।
- 12- निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य के लिये प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के **भाग "अ**" में चाही गई वांछित सूचनाऐ एवं दस्तावेजों व निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) जमा होने के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं की निविदाओं के सम्बन्धित **भाग "ब"** को खोला जावेगा ।
- 13- निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा पत्र के भाग "अ" में किसी भी अपूर्ण सूचना अथवा सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति या ई.एम.डी. (अमानत राशि) के अभाव में अयोग्य घोषित किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत भाग "ब" पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- 14- निविदा पत्र के भाग "ब" में सम्बन्धित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों का उल्लेख अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा । किसी प्रकार की ओवरराईटिंग पर सूक्ष्म हस्ताक्षर करना होगा। किसी संशय की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि को ही मान्य किया जावेगा। ई—टेंडर होने की स्थिति में दरें निर्धारित प्रपत्र में ही भरी जानी है।
- 15- सफल निविदादाता को जयपुर दुग्ध संघ का नोमिनल सदस्य बनना आवश्यक है।
- 16- किसी प्रकार की शर्त जोड़ने एवं हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।
- 17- निविदादाता को निविदा पत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। ई—टेंडर होने की स्थिति में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर अपलोड किया जाना होगा।
- 18- किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय में निहित रहेगा।
- 19- फर्म के प्रकार में किसी भी तरह का परिवर्तन होने पर अनुबन्धकर्ता को इस कार्यालय में सूचित करना आवश्यक है। परन्तु यह परिवर्तन किसी भी पूर्व पार्टनर को अनुबंध के दायित्व से मुक्त नहीं करेंगीं । परिवर्तन के पश्चात भी अनुबंधकर्ता फर्म अनुबंध की शर्तो से बंधी हुई रहेंगी ।
- 20- आशय का पत्र देने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी, जिसके अभाव में कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि जब्त की जा सकेगी ।
- 21- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायाधिकरण क्षेत्र जयपुर मान्य होगा ।
- 22- निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत / अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- 23- निविदायें सीलबन्द लिफाफे में प्रकाशित निविदा सूचना एवं ठेके की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में संलग्न प्रार्थना पत्र में अपना पूरा स्थायी पता व पत्र व्यवहार करने का पता टेलीफोन नम्बर अपना ई—मेल पता इत्यादि बिना किसी अधिलेखन (OVER WRITING) के प्रविष्टियाँ पूर्ण कर प्रत्येक पृष्ठ पर इस आशय के साथ कि मैने प्रत्येक शर्त को पढ लिया है व समझ लिया है अपने हस्ताक्षर कर जमा कराना होगा। निविदादाता /अनुबंधकर्ता को कोई भी सूचना उसके ई—मेल के पते पर प्रेषित की जा सकती है। ई—मेल पर भेजी गई सूचना निविदादाता/अनुबंधकर्ता को उसी दिन प्राप्त हुई मानी जावेगी।
- 24- डेयरी प्रशासन द्वारा निविदादाता के कार्यालय एवं अन्य संस्थाओं, जंहा विशेष शर्तो के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा दिया गया है, का अवलोकन किया जा सकता हैं।
- 25- यदि कोई निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है जोकि अनुबन्ध अवधि में सामने आता है तो अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि / सुरक्षा राशि / बैंक गारंटी एवं अन्य देय भुगतान जब्त कर लिया जावेगा ।

- 26- व्यवस्था में परिवर्तन होने पर एवं संघ हित में अनुबंध अवधि से पूर्व समाप्त करने का अधिकार संघ के पास होगा ।
- 27- संघ हित में विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर अनुबन्ध की शर्ती में कोई शर्त जोडी या घटाई जा सकती हैं।
- 28- अनुबंध की अविध अनुबंन्धित कार्य प्रारम्भ करने के दिन, जिसकी गणना अनुबन्ध में वर्णित समस्त शर्तो को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कार्य आवंटन दिनांक से की जावेगी। रू. 1000 / — के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर मय निविदा शर्तो के संघ में प्रस्तुत करना होगा।
- 29- मोहरबन्द निविदा निर्धारित तिथि व समय पर जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी व उस समय निवेदक स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु इजाजत होगी । ऐसा इसलिये भी आवश्यक है कि उस दिन आवश्यक होने पर निविदा दरों पर नेगोशियेशन भी हो सकता हैं। ई—टेंडर होने की स्थिति में निर्धारित तिथी एवं समय पर निविदाएं डाउनलोड की जावेगी।
- 30- निविदादाताओं द्वारा प्रेषित की गई दरें जयपुर दुग्ध संघ प्रशासन के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिये निविदा खुलने की तिथि से तीन माह तक खुला रखना होगा।
- 31- अनुबंधकर्ता द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य का विवरण के समय निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु बिल अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण करवाकर कार्यालय में कार्य पूरा होने अथवा प्रत्येक माह की समाप्ति पर माह की पांच तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा । अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
- 32- अनुबन्धकर्ता को उस पर लागू समस्त अधिनियमों कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970, आयकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बाल श्रमिक रोकथाम एवं रेग्युलेशन एक्ट 1986 एवं आईएसओ 2000 के सिद्वान्तों की अनुपालना स्वंय को करनी होगी ।
- 33- अनुबंधकर्ता को अपने प्रत्येक कर्मकार के लिये रू. 05 लाख बीमित मूल्य का दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य है। कार्य के दौरान कर्मकार के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त कार्यवाही करने का दायित्व अनुंबधकर्ता का होगा ।
- 34- अनुबंधकर्ता को अपने कर्मकारों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक 06 माह में करवाना आवश्यक है एवं सम्बन्धित रिकार्ड संस्था में देना होगा ।
- 35- अनुबंधकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि अपने या संघ में किसी अन्य अनुबंध के अधीन सुपरवाइजर / कर्मकार की तरह कार्य नहीं करेगा ।
- 36- कार्य स्थल पर अनुबंधकर्ता अथवा उसका सुपरवाईजर कार्य के दौरान उपस्थित होना चाहिए ।
- 37- अनुबन्धकर्ता को कोई भी शर्त जोडने अथवा हटाने या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित करने अथवा बिना किसी नोटिस या कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ, जयपुर के प्रशासन का होगा ।
- 38- प्रबन्ध निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवाने हेतु अनुबंधकर्ता को स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि / पर्यवेक्षक के माध्यम से सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी से अनिवार्य रूप से प्रतिदिन प्रति पारी सम्पर्क स्थापित करना होगा एवं आपात स्थिति में सम्पर्क स्थापित करने हेतु अनुबंधकर्ता या उसके प्रतिनिधि की उपलब्धता के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध को अवगत कराना होगा ।
- 39- Appeals:- Appellate authority Chairman, JZDUSS Ltd. Procedure for appeal is mention at Annexure "A"
- 40- सम्बन्धित अनुबंधकर्ता से अनुबन्ध अवधि में जो भी सूचना या दस्तावेज इस संघ द्वारा मांगे जावेगें वे निश्चित अवधि में उपलब्ध करवाने आवश्यक होगें यदि अनुबन्धकर्ता के द्वारा दस्तावेज / सूचना नही दी जाती है तो अनुबन्ध की शर्तो की अवहेलना माना जावेगा तथा प्रबन्धन इस अनियमिता के लिये अनुबन्धकर्ता पर शास्ती आरोपित कर सकेगा तथा अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा ।
- 41- अनुबंध अविध के दौरान कार्य अंसतोषजनक होने पर प्रशासन द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है । इस स्थिति में अनुबंधकर्ता की सुरक्षा राशि / बैंक गांरटी एवं अन्य देय भुगतान भी जब्त किये जावेगें ।
- 42- अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्धित अनुबंधकर्ता द्वारा यदि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं तो अनुबन्धकर्ता को बकाया नहीं प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि व अन्य कोई राशि वांछित सूचना उपलब्ध करवाने तक नहीं दी जावेगी। अनुबन्ध अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात किसी भी अधिकार के अन्तर्गत यदि कोई सूचना वांछित होती है तो वह सूचना अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा

- 43- निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते अनुबन्ध का हिस्सा होगी।
- 44- यदि राज्य / केन्द्र सरकार द्वाराँ जीएसटी की दरों में वृद्वि / कमी की जाती हैं तो उसका समायोजन तदृानुसार किया जावेंगा। इसके अलावा अन्य कोई नया कर निविदा के पश्चात निर्धारित किया जाता है तो उसका भूगतान देय दरों के अतिरिक्त होगा।
- 45- सिक्योरिटि मेनगेट पर प्रत्येक ठेका श्रमिक के कार्य पर उपस्थित होने एवं कार्य समय पूर्ण होने पर परिसर से बाहर जाने का समय अंकित होगा।
- 46- यह कि ठेकेदार के द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक जयपुर दुग्ध संघ में अथवा इनमें से किसी के द्वारा संचालित किसी भी यूनिट का कार्मिक नहीं माना जावेगा। किसी भी ठेकेदार के द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अथवा अन्य किसी भी अधिनियम के अंतर्गत जयपुर दुग्ध संघ / पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा स्थायी नियोजन के लिये किया जाता है तो उसकी सभी प्रकार की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा ठेकेदार के किसी भी कार्मिक को स्वयं के यहां किसी भी प्रकार से स्थाई नियोजन नहीं देगें और स्वंय की सेवा में भी नियोजित नहीं करेंगे।
- 47- यह कि प्रशासन के द्वारा निर्देशित किये जाने पर ठेकेदार के द्वारा किसी भी कार्मिक को ठेकेदार तुरन्त हटा लेगा और उसके स्थान पर 24 घण्टे के भीतर दूसरा कार्मिक कार्य पर लगायेगा।
- 48- उक्त समस्त शर्ते, ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबंध का हिस्सा रहेगी व अनुबंध की शर्तो के रूप में उपरोक्त समस्त शर्तेठेकेदार / एजेन्सी पर लागू रहेगी।
- 49- यह कि ठेकेदार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी के कार्य का सुपरवीजन, कन्ट्रोल, डायरेक्शन व वेतन भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 50- ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक माह की 07 तारीख तक करना आवश्यक होगा।
- 51- कार्य विवरण में उल्लेखित समस्त कार्य ठेकेदार को अपने श्रमिकों से पूर्ण कराने की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। केवल श्रमिक उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं होगा, स्वयं ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को प्रत्येक पारी में कार्य सम्पादित कराने के लिए उपस्थित रहना होगा। प्रतिनिधियों के नाम व मोबाईल नम्बर पूर्व में ही प्रबन्धन पशु आहार संयन्त्र को देने होंगे।
- 52- ठेकेदार तथा श्रमिकों को सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी। अनुशासनहीन या अवांछित श्रमिक को कार्य स्थल से तुरन्त बाहर भेज दिया जावेगा तथा संयन्त्र परिसर में नहीं आने दिया जावेगा।
- 53- कार्य आवश्यकतानुसार ही कराया जावेगा। किसी भी कार्य व न्यूनतम कार्य की कोई गारण्टी नहीं है।
- 54- ठेकेदार को श्रमिकों के आधार कार्ड / पहचान पत्र इत्यादि रखने होगें एवं आवश्यकता पडने पर संस्था द्वारा चाहे गये श्रमिकों के शैक्षणिक दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध कराने होगें।
- 55- सफल निविदादाता को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा। इस हेतु रूपये 110/— नकद संघ में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावेगी एवं इसकी प्रतिलिपि टेण्डर कमेटी को देनीहोगी।
- 56- पात्राता की शर्त संख्या 11 में निविदा में भाग लेने से अपात्रा माने जाने का आधार निम्नानुसार हैं:--
- 1. एक ही ठेकेदार द्वारा समस्त कार्यो का ठेका लेने की सम्भावना बढ जायेगी व किसी भी समय उसके द्वारा कार्य रोके जाने पर पूरा उत्पादन कार्य बाधित हो सकता हैं।
- 2. सुरक्षा व्यवस्था में कार्यरत ठेकेदार यदि अन्य कार्यो का भी ठेका ले लेता हैं तो उसी के कर्मकार संयन्त्रा के अन्दर—बाहर आत जाते रहेगें। ऐसे में से किसी भी प्रकार की चोरी/अनियमितता होने पर संघ के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट नही करेगें एवं कार्य में पारदर्शिता नही रहेगी।
- एक ही ठेकेदार यदि समस्त कार्यो का ठेका ले लेता हैं तो यह स्वाभाविक रूप से एकाधिकार व हठधर्मिता प्रदर्शित करेगा।
- 4. यह है कि निविदा में ज्यादा से ज्यादा निविदादाता भाग लेने चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से दरे प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे में दुग्ध संघ में कार्यरत वर्तमान ठेकेदारों के अतिरिक्त बाहर से ज्यादा से ज्यादा फर्मों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
- 57- मैने / हमने निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें पढ़ ली है व मान्य हैं तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। उपरोक्त किसी भी दस्तावेज के अभाव में टेण्डर निरस्त किया जा सकता है।

#### Terms of Reference III (C)

Cattle Feed Plant Kaladera A Unit of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited (JZDUSSL), Jaipur invites tender in two cover system for selection of **Transporatation of Cattle Feed & Minera Mixture in Jaipur Milk Shed** as per the prescribed specifications.

 Selection process: <u>QCBS Method - Quality and Cost Based Selection</u> method will be used for selection of bidder out of the technically qualified bidders. Bidders meeting the required minimum technical bid qualifications mentioned in tender document would be eligible for the technical bid evaluation process.

In the Second Stage, the financial bid of all bidders, who have attained minimum 50 marks (out of 100 marks) in the technical evaluation, will be opened and compared, bidder with less than 50 marks will be disqualified.

#### Criteria for Technical Bid Evaluation - Table 1

Technical Bids will be evaluated as per the criteria detailed below:

SI. No.	Criteria	Marking Scheme	Max. Marks	Documentary Evidence
1.	Bidder should have the experience of having successfully completed "similar work" in any Cooperative/Govt./Semi Govt. organization	Less than 1 Year: 0 marks 1 Year: 2.5 marks 2 Year: 5 Marks 3 Year: 7.5 Marks 4 or above 4 Year 10Marks	10	Work Order and Work Completion/Exeprience Certificate
2.	Average Turnover for last three years (2022-23,2023-24 & 2024-25)	Less than 02 Crore: 0 Marks 2 to 3 crore: 2.5 Marks 3 to 4 crore: 5 Marks 4 to 5 crore: 7.5 Marks Morethan 5 crore: 10 Marks	10	Attach Audited Balance Sheet/CA Certificate
		Total Marks	20	

#### Note for above:

- To demonstrate experience against criteria specified above, bidder must submit relevant documents.
- ii. 'Qualified Bids' (meeting the minimum Qualifying Marks of in Quality Criteria) and conforming to the technical specifications, terms and conditions stipulated in the bidding document and considered to be responsive after subjecting to Bid Evaluation Criteria shall be considered for further evaluation as per the Evaluation Criteria given below:
  - a. Price Bids shall be evaluated taking into account the Price quoted for all services including applicable GST (CGST & SGST/ UTGST or IGST).
  - b. Quoted price must include all liabilities and taxes including statutory liabilities but excluding GST, which shall be quoted separately in the Price Bid format
- iii. To ascertain the Inter-se-ranking of the bids, the Quality & Cost Based Selection (QCBS) methodology as mentioned below shall be adopted:

Financial Bid Evaluation: Proposal with the lowest cost (L1 bidder) will be given a final score of 100 and other proposal given financial scores that are inversely proportional to their prices. Example:

Bidder Name	Total amount quoted	Financial Score
	(Rs.) of Financial Bid	
(1)	(2)	(3)
A	<mark>80</mark>	80/80x100=100.00
В	100	80/100 x100 =80.00
С	150	80/150 x100 =53.33

#### Overall Evaluations -Identification of successful bidder:

Total/Final Score as per criteria Technical/Quality Score X Technical Weightage in % i.e. 20% + Financial Score X Financial Weightage i.e. 80%.

The Bidder who obtains maximum Total/Final Score will be declared as successful bidder. **Example:** 

Bidder Name	Technical/Quality Score obtained	Financial Score obtained	Calculation	Final Score	Rank of the Bidder
(1)	(2)	(3)			
A	<mark>18</mark>	<mark>100</mark>	(18*20%)+(100*80%)	3.60+80.0=83.60	L1
В	15	80	(15*20%)+(80*80%)	3.00+64.0=67	L2
С	12	53.33	(12*20%) +(53.33*80%)	2.40+42.66=45.06	L3

Here Bidder 'A" will be declared as successful bidder.

In case two firms offer the same lowest net bundled prices, then only the past experience for similar kind (i.e. related to Dairy sector) of work by the firms shall be considered for evaluation purpose. The decision of the Jaipur Dairy shall befinal and binding.

#### अनुभाग IV: Bidding Forms

# फॉर्म / दस्तावेज जो की प्रस्तुत किये जाने हैं:--

#### **TECHNICAL PROPOSAL SUBMISSION FORM**

(On the letter head of the Bidder)

{Location, Date}

To

Managing Director,

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur- 302015, Rajasthan

Dear Sir,

We remain,

We, the undersigned, offer to provide the services for service contract for providing service for transportation of cattle feed/mineral mixture from cattle feed plant, Kaladera to DCS in Jaipur Milk shed. In accordance with your Bid Proposals dated [Insert Date]. We are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical Proposal and a Financial Proposal as e-procurement portal i.e. http://eproc.rajasthan.gov.in

We hereby declare that:

- (a) All the information and statements made in this Bid/Proposal are true and we accept that any misinterpretation or misrepresentation contained in this Bid/Proposal may lead to our disqualification by the Management of Cattle Feed Plant, Kaladera, A Unit of: Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur and action may be taken against us under the provisions of the Act and the Rules.
- (b) Our Proposal shall be valid and remain binding upon us for the required period of 90 Days.
- (c) We declare that we have complied with the and shall continue to comply with the provisions of Code of Integrity contained in the Bid Document in competing for and in execution of the Contract and that we have no conflict of interest in accordance.
- (d) We meet the Eligibility and Qualification criteria as required in the Bid Document.
- (e) Our Bid/Proposal is binding upon us and subject to any modifications resulting from the Contract negotiations.
- (f) We undertake, if our Proposal is accepted and the Contract is signed, to initiate the Services related to the assignment no later than the period stated in the Bid Document.
- (g) We understand that the Cattle Feed Plant A unit of Jaipur Zila Dugdh Utapadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur is not bound to accept any Proposal that it receives.

Yours sincerely,

Authorized Signature {In full and initials}:

Name and Title of Signatory:

Name of Bidder (firm's/ company's name):

In the capacity of:

Address:

Contact information (phone and e-mail):

#### Form -2

#### **BIDDER'S ORGANIZATION AND EXPERIENCE**

Form-2: a brief description of the Bidder's organization and an outline of the recent experience of the Bidder that is most relevant to the assignment. For each assignment, the outline should indicate, the duration of the assignment, the contract amount and the Bidder's role/ involvement

#### **Bidder's Organization**

1-	Submitting the tender (In block letters)
	Phone NoMobile No
	Fax No Email address
3-	Addressed to: JZDUSS. Ltd., Near Gandhi Nagar Railway station Jaipur 302015 Office Location (Complete address)
	Phone NoMobile No.
	Fax No Email address_
4-	
	(Enclose an attested photocopy of power of attorney issued by all partners/director in favour of nominated person).
5-	Status of tenderer with signature : Individual/ HUF/ firm/ company
	(Tick mark only) (Specify the details in enclosed annexure–I)
	(Mandatory: Before making any change in constitution of the firm, it will be intimated to JZDUSS LTD. Jaipur for approval).
6-	Earlier experience in this field (if any) : Enclose the document/s.
7-	Tender Fee Details:
	Rs
	CATTLE FEED PLANT KALADERA / Name of the Bank
_	(The DD should be in favour of CATTLE FEED PLANT KALADERA payable at Jaipur)
8-	EMD Details:
	DD No
	CATTLE FEED PLANT, KALADERA. / Issued by BankBranch.  (DD should be infavour of CATTLE FEED PLANT, KALADERA, payable at Jaipur. No interest will be payable on EMD.)
9-	MD RISL Processing FeesDD no
10.	(a)PAN Card/No(Attach attested Photocopy)
	(b)GSTN No(Attach attested Photocopy)
11.	Details of the Bankers: NameStateState
	A/c NoIFSC Code

#### FORM -3

#### EMD/Bid Security in form of Bank Guarantee

[To be issued by a Scheduled Bank in India and must be duly stamped]

[insert Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office]

#### **Beneficiary:**

The Managing Director Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur-302015 Rajasthan

#### Date: [insert date]

#### **BID GUARANTEE No.:** [insert number]

We have been informed that *[insert name of the Bidder]* (hereinafter called "the Bidder") has submitted to you its Bid dated *[insert date]* (hereinafter called "the Bid") for supply **tender title......**under Bid No. *[insert BID number]*. Furthermore, we understand that, according to your conditions, Bid must be supported by a Bid Security.

At the request of the Bidder, we *[insert name of Bank]* hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of *[insert amount in figures][insert amount in words]* upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the Bid/Tender conditions, because the Bidder:

- (a) has withdrawn its Bid/Tender during the period of Bid validity specified by the Bidder in the Form of Bid:or
- (b) having been notified of the acceptance of its Bid by the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur during the period of Bid/Tender validity,
  - (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if required,
  - (ii) fails or refuses to furnish the performance security, in accordance with the Instructions to Bidders (ITB),
  - (iii) does not accept the correction of errors in accordance with the ITB, or
  - (iv) breaches any provision of the Code of Integrity specified in ITB;

This guarantee will expire: (a) if the Bidder is the successful Bidder, upon our receipt of copies of the contract signed by the Bidder and the performance security issued to you upon the instruction of the Bidder; and (b) if the Bidder is not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Bidder of the name of the successful Bidder; or (ii) 120 days after the expiration of the Bidder's Bid/Tender.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.

Bank's Seal	of Bid Security
Date	
Duly authorized to sign the Bid Security for and on behalf o	f
Signed	
In the capacity of	
Name	
The Guarantor has power to issue this guarantee and disch herein, and the undersigned is duly authorised to execut power granted under	te this Guarantee pursuant to the

#### FORM -4

# (ON THE LETTER HEAD OF THE BIDDER) Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act Declaration by the Bidder

In relation to our Bid/Tender submitted to Managing Director, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur-302015, Rajasthan for

For <u>transportation of cattle feed/mineral mixture from cattle feed plant, Kaladera to DCS in</u> Jaipur Milk shed

In response to their Bid/Tender No.............. Dated .............. we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

- 1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Cattle Feed Plant, Kaladera.
- 2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
- 3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
- 6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:	Signature of Bidder/service provider
Place:	Name :
	Designation:
	Address:

#### FORM -5

### (ON THE LETTER HEAD OF THE BIDDER)

#### **POWER OF ATTORNEY**

#### (On Stamp paper of appropriate value and attested by notary)

Know all men by these presents, We(name and address
of the registered office) do hereby constitute, appoint and authorize Mr
Ms(name and residential address) who is presently
employed with us and holding the position of as our attorney
to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection
with or incidental to our Bid for selection as Bidder for providing service of transportation of cattle
feed/mineral mixture from CFP, Kaladera to DCS of Jaipur Milk shed etc. Including signing and
submission of all documents and providing information/responses to JZDUSS Ltd. in al
matters in connection with our Applicant for the said Assignment.
We hereby agree to ratify all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us.
Dated this the Day of Acceptance
For Name & signature
(Name and designation of the person(s) signing on behalf of the Applicant)

#### FORM-6

#### Format for Pre-bid queries

Name of the Bidder/Service Provider:
Address:
Telephone No.:
Fax No:
Mobile No:
Email ID:

Section No. – Clause No. – Paragraph/Bullet No.	Corresponding page no in the Bid Document	Particulars of the query / clarification	Remarks of CFP Kaladera, JAIPUR

**Authorized Signatory** 

Designation

[The queries have to be submitted through e-mail in word document (not a PDF) to CATTLE FEED PLANT, KALADERA cfp.kaladera@gmail.com latest by 7 Days before the date of Prebid Conference. The bidder should send the queries through official e-mail IDs only.]

#### Form No: 7

#### ∹ शपथ – पत्र :-

#### (On the letter head of the Bidder)

मैं /हम निविदादाता		 	 . पुत्र १	श्री	 	 1	पता	 	 	 	
( फर्म के										भरा	जावेगा)
सशपथ घोषणा करता	हूं कि										

- 1. मैं / हमारे द्वारा जयपुर सघ अथवा संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में ) किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लिम्बत नहीं है ।
- 2. जयपुर संघ द्वारा मेरे / हमारे के विरूद्व किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
- मेरा / हमारा पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य नहीं किया गया है / निलम्बित नहीं / अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है / ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
- 4. मेरा / हमारा संघ के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी / संचालक मण्डल के सदस्य से / दुग्ध समितियों के पदाधिकारी (As on date of submission of tender) वित्तीय सम्बन्ध नहीं है ।
- 5. मेरा / हमारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्य / दुग्ध समितियों के पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध नहीं है ।
- मैं / हम दीवालिया / नाबालिक / अस्वस्थ मस्तिष्क के नहीं है ।
- 7. मैं / हम संघ के समान / प्रतिस्पिधी कार्य / व्यापार मे लिप्त नहीं है।
- 8. मैं / हम वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय / संयंत्रा में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत नहीं हैं ।
- 9. मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पायें जाने पर मेरी / हमारी धरोहर / सुरक्षा राशि / बैंक गांरटी / अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा। जिसके लिए मैं / हम स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

#### Form No: 8

#### TENDER ACCEPTANCE DECLARATION

(On the letter head of the Bidder)

Tender Reference No
Tender ID No
Name of Tender / Work / Item
Dear Sir,
I / We have downloaded / obtained the tender documents (s) for the above mentioned "Tender / Work / Item" from the web site(s) namely:
as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).
1. I / We hereby certify that I/We have read and understood the entire terms and conditions of the tender documents (including all documents like Special Notes, annexure(s), Schedules(s), Specifications of the item(s), etc.) which form part of the contract agreement and I / We shall abide hereby the terms / conditions / clauses contained therein.
2. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organization too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
3. I / We hereby unconditionally agree & accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) corrigendum(s) in its totality / entirety.
4. In case any provisions of this tender are found violated or breached then your department / organization shall without prejudice to any other legal right or remedy be at liberty to reject this tender / bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.
Yours Faithfully,
(Signature of the Bidder, With Official Seal & Date)

#### **FORM -9**

#### -: शपथ - पत्र :-

#### (On the letter head of the Bidder)

में /	हम नि	नेविदादा	ाता	 	 पुत्र श्री .				प	ता	
				 	 ( फर्म के	नाम	से	निविदा	भरने की	ो स्थिति	में यह
					डायरेटर						
हुं कि											

- 1. मेरे द्वारा नियोजित श्रमिको को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैद्यानिक प्रावधानों की अनुपालना की जावेगी ।
- 2. मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों में ही दिया जावेगा। बैंकखातों में जमा करवायी गयी राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह केमासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।
- 3. मेरे द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जावेगा।
- 4. मेरे द्वारा राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफएवं ईएसआई की राशि जमा करवायी जावेगी ।
- 5. कार्य सम्पादन की अविध के दौरान कार्य के सम्बन्ध / सदंर्भ में किसी भी प्रकार की क्षितिपूर्ति कामुआवजा देने / इएसआई करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 6. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारासमय समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। श्रम विधि केअंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं,दिशा—निर्देशों आदि की पालना नहीं करने कीस्थिति में उसके परिणामों / दायित्वों के लिये मेरी जिम्मेदारी होगी ।
- 7. सफल निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST)की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST)के चालानकी प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवा कर(GST)की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने परआगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा। उक्तस्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST)के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वोंके निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
- 8. यदि सफल निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तोउसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इसके लिए उपापन संस्था को सक्षमप्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्टापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
- 9. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 केविहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन,छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।


#### **FORM FIN-1**

# FINANCIAL PROPOSAL SUBMISSION FORM ALL RATES TO BE FILLED IN PRESCRIBED .XLS FILE ONLY

#### (TO BE UPLOADED IN FINANCIAL BID COVER-2)

#### **FINANCIAL BID**

# RATE QUOTATION FORM FOR: ENGAGING TRANSPORTER FOR TRANSPORTATION OF CATTLE FEED & MINERAL MIXTURE FROM CFP KALADERA TO DCS IN JAIPUR MILKSHED



#### <u>अनुभाग-V</u>

#### CONTRACT FORMS AND PERFORMANCE SECURITY

# (To be executed on Non-Judicial Stamp Paper of appropriate value) RATE CONTRACT FOR PROVIDING SERVICE FOR

Providing service of transportation of cattle feed/mineral mixture from CFP, Kaladera to DCS of Jaipur Milk shed

- 1. An agreement made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_ between M/s.\_\_\_ hereinafter called "Agency" which expression shall where the context so admits, be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators of the one part and the cattle feed plant, Plot no. SP34 & 34A, RIICO area, Kaladera a unit of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., (hereinafter called "CFP-Kaladera" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.
- 2. Whereas the approved agency has agreed with the CFP-Kaladera for providing service of transportation of cattle feed/mineral mixture from CFP, Kaladera to DCS of Jaipur Milkshed in the manner set forth in the tender terms & conditions and work-order/Purchase order.
- 3(a) and whereas the agency has deposited a sum of Rs.\_\_\_\_\_ in form of Demand Draft or BG as security for the due performance of the agreement.
- 3(b) and whereas the agency has agreed:
  - (i) to keep the security deposit with the CFP-Kaladera in form of demand draft/Bank Guarantee for an initial period of 02 year or such extended period plus three months so as to cover the period of performance of contract i.e. providing support staff as per work-order.
  - (ii) That no interest shall be paid by the CFP-Kaladera on the security deposit.
  - (iii) That in case of breach of any terms & conditions of the work order (as per the terms & condition of tender) his agreement by the agency the amount of performance security shall be liable to forfeiture in full or part by the CFP-Kaladera.

#### NOW THESE PRESENT WITNESS

- 1- In consideration of the payment to be made by the CFP-Kaladera at the rates set forth in the aforesaid LOI/LOA/work order, the approved Bidder/Service Provider will duly providing service of transportation of cattle feed/mineral mixture from CFP, Kaladera to DCS of Jaipur Milk shed all those articles set forth in the work order issued and in the manner set forth and within the period stipulated in the conditions of the Bid/tender and order.
- 2- The conditions of the Bid/Tender as given in the Bid/tender document for the work, conditions of the aforesaid LOI/LOA/work order and also any subsequent amendment as may be issued by the CFP-Kaladera will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
- 3- That all the terms and conditions of the Bid/Tender Form including its Annexure stands ipso facto included as terms of this agreement as inseparable part of this agreement and binding on approved Bidder/Service Provider.
  - (a) For any shut down / break down in the equipment / plant at the CFP Kaladera for which the delay occurs for the unloading of trucks received than no penalty will be charged from approved bidder / service provider.
  - (b) In the event of receiving repeated complaints in writing from the CFP-Kaladera, MD, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., may decide to recover suitable amount towards such losses from the approved Bidder/Service Provider and such decision of MD, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. shall be final and binding on the approved Bidder/Service Provider.
- 4- The mode of payment will be as specified in the Bid documents. Work shall be effected and completed in the manner and time specified in the LOA/work order/bid document. In case the approved Bidder/Service Provider fails to execute the work within the time specified in the aforesaid LOA/work order, the conditions of liquidated damages and penalty those for late completion of work as stipulated in the aforesaid work order/contract shall be enforced.

If the Bidder/Service Provider considers at any time during the performance of the Contract that he is unable to meet the agreed dates and deadlines set forth for various deliverables due to occurrence of an event of Force Majeure or any other reasons, it may request in writing immediately on the occurrence of cause of hindrance to the CFP-Kaladera, to execute the work. The CFP-Kaladera, after considering the reasons and justifications, may consider request without liquidated damages.

- 5- Amicable Settlement
  - The parties shall use their best efforts to settle amicably all disputes arising out of or in connection with this Contract or the interpretation thereof. In the event a dispute, differences or claim arises in connection with the interpretation or implementation of this Contract, the aggrieved party shall issue a written notice setting out the dispute/ differences or claim to the other party. Parties shall first attempt to resolve such dispute through mutual consultation. If the dispute is not resolved as aforesaid within 30 days from the date of receipt of written notice, the matter will be referred for Arbitration.
- 6- All disputes and difference arising between the parties out of the agreement or incidental there to shall be decided by arbitration under the provisions of the Arbitration and conciliation Act, 1996 or any other law for the time being in force and the same shall be final and binding on both the parties.
- 7- All the disputes pertaining to the said contract shall vest to the jurisdiction of Courts at Jaipur.
- In witness whereof the parties hereto have set their hands on the \_\_\_\_\_ day

 SIGNATURE OF THE APPROVED SUPPLIER:
 SIGNATURE FOR AND ON BEHALF OF the JZDUSSL:

 Witness No.1
 Witness No.1

 Signature :\_\_\_\_\_\_
 Signature:\_\_\_\_\_\_

 Name :\_\_\_\_\_\_
 Name :\_\_\_\_\_\_

 Address :\_\_\_\_\_\_
 Address :\_\_\_\_\_\_\_

8- All terms & conditions of the tender shall be part of this agreement.

#### (Performa of Bank Guarantee for Performance Security)

(On Non-judicial stamp paper as prescribed by bank)

the context or n	eed of Guarantee man (Name and address of neaning so requires, in our, Rajasthan, (herein ne meaning there of in	of the Bank) (herein ncludes the successon nafter referred to as	rafter referred to as ors and assignees of s "The CFP, Kaladera	"The Bank") the Bank an which expre	which expression d theession shall unless	shall be here
(Name and add cattle feed/min agreed to proviprescribed form to safegua contract period	AS the CFP, Kaladera ress of the party) (Heral mixture from CF de a Bank Guarantee at of for rd its investment in the production of no expiry of the contract,	ereinafter called "T P, Kaladera to DCS e valid for the conti an amount of Rs ne CFP-Kaladera. Th dues certificate and	The approved tende is of Jaipur Milk shewareted period from a control of the Bank guarantee will an undertaking in control of the Bank guarantee will an undertaking in control of the Bank guarantee will an undertaking in control of the Bank guarantee will an undertaking in control of the Bank guarantee will an undertaking in control of the Bank guarantee will an undertaking in control of the Bank guarantee will an undertaking in control of the Bank guarantee will be a control of th	rer") providi d and where any Schedule s in words) t vill be releas ase any clair	ng service of tran eas the approved ed Bank approved owards security to ed three months a m/liability/recove	sportation of tenderer has by RBI in the  after expiry of
only ) being the repayment to t becomes payabl from the date of currency except	ideration of the approse security deposit amount of the CFP, Kaladera of the to the CFP, Kaladera of demand from the CFP, with the previous corantee upto a sum of F	ount, we the said Rs a in accordance witl FP, Kaladera. The E nsent of the CFP, K	_(Name of the Bank (Rupees n the terms and cond Bank further underta aladera in writing an	) hereby und on ditions of the akes not to r	dertake and guara ly ) or any part t e said work order v evoke this guaran	ntee to make hereof which vithin 07 days tee during its
tenderer and the parties or by an prejudice or resagainst the CFP, under this guard due to the CFP,	nk shall not be dischance CFP, Kaladera with my indulgence, forbeattrict remedies agains, Kaladera. Weantee without any de Kaladera. In case the rin part against this g	n or without the contrance shown by the state of the sank nor shame of the mur, merely or den CFP, Kaladera puts	onsent of the Bank of the CFP, Kaladera to all the same in any of Bank) do hereby und mand from the CFP, I	or any altera the tendere event be a a dertake to p Kaladera sta	ations in the obliger and that the saground of defence ay an amount due ting that the amount	rations of the ame shall not by the Bank and payable unt claimed is
failed in comply	nk shall consider tha ing with the terms ar any such lapse/failure	nd conditions stipula	ated by the CFP, Kal		•	
Kaladera may hobligation to ma receiving or have	arantee shall be in ad nave or hereafter po arshal in favour of the ve a claim upon and t ete or enforce or assig	ssess against the Bank any such secu the CFP, Kaladera a	approved tenderer rities or fund or asse t its absolute discre	and the CF ets that the O	P, Kaladera shall CFP, Kaladera may	be under no be entitled to
Kaladera serving actual delivery t Any notice set	nk agrees that the argeneral and the argeneral and the Bank or the Bank at its adoughted that the notice may re-	ne payment of the by dispatch thereo dress by Registereo	amount and such not to the Bank by register. I post shall be deen	otice shall b istered post ned to have	e served on the B at the address of t	ank either by the said Bank.
	r to give full effect to sions and which the B	•	_	•	_	onsistent with
filed against us	hstanding anything o (Rupees enforce such claims, intee shall be forfeited	only) and it shal within three month	I remain in force un ns from end of the o	til contract p contract peri	period, unless a su lod, all the CFP, Ka	it or action is aladera rights
Place : Date :						
						(SIGNATURE)

SEAL OF BANK